



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 04.06.2022

## **मंदिर में मूर्ति खण्डित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा ग्राम देवगांव में मंदिर की मूर्ति को खंडित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 03.06.2022 को वादी श्यामलाल राठौर पुत्र धनीराम राठौर नि० देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर ग्राम देवगांव स्थित मंदिर में रामजी उर्फ राजू गौड़ पुत्र वीरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव द्वारा मूर्ति को खण्डित करने के संबन्ध लिखित तहरीर सूचना दी। जिसके आधार पर थाना सफीपुर पर मु०अ०सं० 251/22 धारा 295 भा०दं०वि० पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 04.06.2022 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रामजी उर्फ राजू गौड़ पुत्र वीरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को मुखबिर खास की सूचना पर देवगांव शराब ठेका के पास से उ०नि० रामऔतार मय हमराह फोर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया ।



## **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-**

1. रामजी उर्फ राजू गौड़ पुत्र वीरेन्द्र गौड़ निवासी ग्राम देवगांव थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

## **आपराधिक इतिहास-**

मु०अ०सं० 251/22 धारा 295 भादवि  
मु०अ०सं० 169/22 धारा 295 भादवि

## **थाना सफीपुर पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० राम औतार
2. हे०का० सत्येन्द्र कुमार सिंह
3. का० ओमनरायन



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 04.06.2022

## **आपराधिक षड़यन्त्र व सदोष परिरोध का आरोपी गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा आपराधिक षड़यन्त्र व सदोष परिरोध के आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 04.06.2022 को उ0नि0 जन्मेदय सिंह मय हमराह फोर्स द्वारा थाना अजगैन पर पंजीकृत मु0अ0स0 168/22 धारा 363/366/342/506/376/120बी भादवि व ¾ पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त शशि कुमार पुत्र स्व0 भीखा निवासी जैतीपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष सम्बन्धित को उसके घर ग्राम जैतीपुर थाना सोहरामऊ उन्नाव से गिरफ्तार किया गया।



## **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. शशि कुमार पुत्र स्व0 भीखा निवासी जैतीपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 40 वर्ष

## **थाना अजगैन पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री जन्मेदय सिंह थाना अजगैन जनपद उन्नाव
2. का0 गोविन्द सिसरोही थाना अजगैन जनपद उन्नाव
2. म0का0 विमल थाना अजगैन जनपद उन्नाव



# उन्नाव पुलिस

## सराहनीय कार्य

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव ।

दिनांक 04.06.2022

### **गौकशी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैरस्टर की कार्यवाही**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हसनगंज पुलिस द्वारा गौकशी करने वाले तीन अभियुक्तों के विरुद्ध गैरस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है ।

**संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 29.01.2022 को थाना स्थानीय पर मुखबिर खास से सूचना मिली की खपुरा मुस्लिम गांव के पीछे जंगल में कुछ लोग गाय काट रहे हैं । जिस सूचना पर विश्वास करके मैं प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस बल के साथ तत्परता से कार्यवाही करते हुए अभियुक्त 1-तहब्बुल पुत्र गुलाम जलानी 2-फुरकान पुत्र रफी अहमद 3-इरशाद पुत्र शाहिद नि0गण खपुरा मुस्लिम थाना हसनगंज उन्नाव गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से गौमांस के टुकड़े बरामद हुए थे। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के खिलाफ मु0अ0सं0-22/2022 धारा 3/5/8 गोबध नि0 अधिनियम पंजीकृत किया गया तलाशी के दौरान अभियुक्त तहब्बुल पुत्र गुलाम जलानी के कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर तथा 02 अदद जिन्दा कारतूश 315 बोर तथा अभियुक्त फुरकान पुत्र रफी अहमद के कब्जे से एक अदद छूरी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त तहब्बुल उपरोक्त के खिलाफ मु0अ0सं0-23/2022 धारा 3/25 आर्मस एक्ट तथा अभियुक्त फुरकान उपरोक्त के खिलाफ मु0अ0सं0-24/2022 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर जेल भेजा गया था।

वर्तमान समय में तीनों अभियुक्त जमानत पर रिहा हुए हैं । श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार तीनों अभियुक्तों के खिलाफ गैरस्टर एक्ट तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।